ए.

झारखंड राज्य बनाम.

शिव शंकर शर्मा और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 8233-34) नवंबर 07,2022

बी.

[उदय उमेश ललित**,** सीजेआई**,** एस**.** आर**.** भाट और सुधांशु धूलिया जे**.]**

भारत का संविधानःअनुच्छेद 32-जनहित याचिका-जनहित याचिका का दुरुपयोग-जनहित याचिका को बनाए रखना-प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिकाओं के रूप में दो रिट याचिकाएं, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा शेल कंपनियों के माध्यम से निजी प्रत्यर्थीगणओं के नाम पर हस्तांतरित धन की अनुसंधान करने और निजी प्रत्यर्थीगणओं की आय के स्रोत की अनुसंधान करने और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वित्तीय अपराध की अनुसंधान करने के लिए आयकर महानिदेशालय को निर्देश देने की मांग की गई है-दूसरे में, मुख्यमंत्री पर अपने नाम पर खनन पट्टा प्राप्त करने में अपने कार्यालय का दुरुपयोग करने के लिए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया-उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को बनाए रखने योग्य मानते हुए और उसके गुण-दोषों पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया-आयोजित किया गयाःमनी लॉन्ड्रिंग और मुखौटा कंपनियों में धन निवेश किए जाने के आरोप केवल आरोप हैं-अनुसंधान करने के आरोप को साबित किए बिना अनुसंधान एजेंसियों के लिए प्रार्थना, अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है-इसके अलावा, याचिकाकर्ता का अधिकार संदिग्ध है और उसने अदालत से साफ हाथों से संपर्क नहीं किया है-प्रत्यर्थी द्वारा वैधानिक अधिकारियों से संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जबकि अनिवार्य रिट जारी करने के लिए मूल आवश्यकता यह है कि याचिकाकर्ता ने उचित प्राधिकरण के समक्ष ऐसी राहत की मांग की होगी और केवल जब इससे इनकार किया जाता है तो अदालत से एक आदेश के लिए संपर्क किया जा सकता है-याचिकाकर्ता की साख का खुलासा नहीं करना और इसी तरह की राहत के लिए किए गए पिछले प्रयास जैसा कि जनहित याचिका नियम 2010 के तहत अनिवार्य किया गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1144

1145

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस।

वास्तव में एक जनहित याचिका पर विचार करने के लिए अदालत के रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि जनहित याचिका में आरोपों की प्रकृति एक गंभीर प्रकृति की थी-प्रत्यर्थीगणओं द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट, सामान्यीकृत हैं और एक सबूत कहे जाने के लिए प्रमाणित नहीं हैं-सामान्यीकृत कथनों पर जो इस स्तर पर केवल आरोप हैं, न्यायालय उच्च संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ दुराचार के कथित कृत्यों की जांच करने के लिए एक मंच नहीं बन सकता है-उच्च न्यायालय के लिए एक जनहित याचिका पर विचार करना उचित नहीं था-इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया-झारखंड उच्च न्यायालय (जनहित याचिका) नियम, 2010-आरआर 4,4-ए, 4-बी।5.

बी.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

सी.

पकड़नाः**1.1** पहली रिट याचिका सं। **(**पी**.** आई**.** एल**.) 2021** का **4290** आरोप जो मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों में निवेश किए जाने के आरोप लगाए गए थे**,** वे फिर से केवल आरोप हैं।याचिकाकर्ता ने वास्तव में अदालत से अनुसंधान की मांग की है।यह इस संबंध में सी**.** बी**.** आई**.** या प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों को जांच करने के लिए आदेश देने का अनुरोध करता है।यह फिर से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है**,** क्योंकि याचिका में बेतुके और व्यापक आरोपों की कमी है**,** न्यायालय के समक्ष ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है जिसे किसी भी तरह से प्रथम दृष्टया सबूत कहा जा सके।इसके अलावा**,** याचिकाकर्ता का अधिकार संदिग्ध है और यह स्पष्ट तथ्य कि उसने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है**,** इसे एक ऐसा मामला बनाता है जिसे बहुत हद तक खारिज किया जा सकता है।**[**पैरा **8] [1157-**एफ**-**जी**; 2022** की दूसरी रिट याचिका **(**पी**.** आई**.** एल**.)** संख्या **727** वह है जिसमें मुख्यमंत्री**,** जो खान विभाग में मंत्री भी हैं**,** पर मुकदमा चलाने का निर्देश देने की मांग की गई है।इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने नाम

से खनन पट्टा प्राप्त करने में अपने पद का दुरुपयोग किया है।मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के पक्ष में खनन पट्टा और पद से उनकी अयोग्यता के संबंध में यह मामला भारत के चुनाव आयोग के पास विचाराधीन है।दूसरी रिट याचिका के लिए इतना जो पूरी तरह से इस न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।**[**पैरा **7] [1156-**ई**-**जी**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.3 तत्काल मामले में प्रत्यर्थी **(**यानी पी**.** आई**.** एल**.** में याचिकाकर्ता**)** द्वारा इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

एच.

1146 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

ए.

किसी भी तरह से वैधानिक प्राधिकरण।अनिवार्य लिखित आदेश जारी करने के लिए मूल आवश्यकता यह है कि याचिकाकर्ता ने उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष इस तरह की राहत की मांग की होगी और केवल जब इससे इनकार किया जाता है तो अदालत से एक अनिवार्य लिखित आदेश के लिए संपर्क किया जा सकता है।इस सिद्धांत को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह न्यायालय एक जनहित याचिका पर विचार कर रहा है। वर्तमान जनहित याचिकाओं के संबंध में**,** यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी ने वैधानिक अधिकारियों से संपर्क करने में कोई कदम नहीं उठाया है या प्राथमिकी दर्ज करने का प्रयास नहीं किया है। **[**पैरा **10] [1160-**बी**-**डी**]**

बी.

1.4 उपरोक्त नियम**, 2010** बलवंत सिंह चौफाल के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप थे।नियम बनाए जाने थे ताकि यह अलग**-**अलग न्यायाधीशों पर नहीं छोड़ा जा सके कि वे अपनी प्रक्रिया तैयार करें**,** बल्कि एक जनहित याचिका पर विचार करने में एकरूपता सुनिश्चित करें**,** और वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करें और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से दायर की जाने वाली जनहित याचिका को हतोत्साहित करें।इसलिए इन नियमों के महत्व को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता है।**[**पैरा **11] [1163-**ई**-**एफ**]**

सी.

डी.

1.5 पी. आई. एल. में जो महत्वपूर्ण है वह है पी. आई. एल. दायर करने वाले याचिकाकर्ता की ईमानदारी। यह एक अत्यंत प्रासंगिक विचार है और इसकी अदालत द्वारा बहुत ही सीमा पर जांच की जानी चाहिए और यह याचिकाकर्ता द्वारा एक जनहित याचिका में उच्च सार्वजनिक कारण का समर्थन किए जाने के बावजूद किया जाना चाहिए। **[**पैरा **12] [1164-**ए**-**बी**]**

ई.

1.6 झारखंड राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू. पी. सं. में दायर उत्तर में। **(**पी. आई. एल.**) 2021** का **4290,** डब्ल्यू. पी. के रूप में पहले की रिट याचिका के दमन के संबंध में एक आपत्ति ली गई थी। **(**पी. आई. एल.**) 2013** की सं. **4218** भी।इसलिए**,** यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का रुख साफ हाथों से नहीं किया क्योंकि उसने डब्ल्यू. पी. की बर्खास्तगी का खुलासा नहीं किया था। **(**पी. आई. एल.**) 2013** का झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा व्यय के साथ सं. **4218,** एक आदेश जिसे इस न्यायालय द्वारा **2014** के एस. एल. पी. सं. **4886** में दिनांक **1** के आदेश द्वारा बरकरार रखा गया था।यह नियम**, 2010** के नियम **4** बी का भी स्पष्ट उल्लंघन है**,** जिसमें याचिकाकर्ता को अतीत में किए गए सभी समान प्रयासों का खुलासा करने की आवश्यकता थी।**[**पैरा **13] [1165-**ई**-**जी**]**

एफ.

जी.

1.7 इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम **4,4** ए**, 4** बी और **5** में दी गई उपरोक्त प्रक्रिया में नियम **6** के तहत ए के कारणों से ढील दी जा सकती है।

एच.

1147

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस।

न्यायालय द्वारा अभिलिखित जहां मामला न्यायालय द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है और मामले में किसी भी देरी की अनुमति देना व्यावहारिक नहीं है।वर्तमान में**,** झारखंड उच्च न्यायालय का कोई निष्कर्ष या आदेश नहीं है कि इस मामले में किसी भी और देरी ने याचिका को निष्फल या निरर्थक बना दिया होगा**,** जिसने नियमों में ढील को उचित ठहराया होगा।इसके विपरीत**,** झारखंड उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि नियम **4,4** ए**, 4** बी और **5** अनिवार्य नहीं हैं**,** बल्कि नियम **6-**ए को देखते हुए प्रकृति में निर्देशिका हैं और इसलिए भले ही नियमों का पालन नहीं किया गया है**,** लेकिन वास्तव में जनहित याचिका पर विचार करने के लिए न्यायालय के रास्ते में नहीं आएगा**,** क्योंकि जनहित याचिका में

आरोपों की प्रकृति गंभीर प्रकृति की थी।यह तर्क बलवंत सिंह चौफाल के मामले में इस अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों में इस अदालत के फैसले के साथ-साथ झारखंड उच्च न्यायालय के नियमों, मुख्य रूप से नियम **4**-बी का स्पष्ट उल्लंघन है। **[**पैरा **14] [1165-**जी-एच**; 1166-**ए-बी**] 1.8** इसलिए जनहित याचिका शुरू करने वाले याचिकाकर्ता का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुकदमे के इस महत्वपूर्ण रूप का दुरुपयोग प्रेरित व्यक्तियों द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों या किसी अन्य कारण से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक सार्वजनिक कारण के लिए किया जाना चाहिए।**[**पैरा **16] [1169-**एफ**.** जी**.]** इस मामले में याचिकाकर्ता डॉ**.** गौतम शर्मा का बेटा है जो वर्तमान मुख्यमंत्री के पिता के खिलाफ आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक था और इसलिए मुख्यमंत्री ने याचिकाकर्ता के हाथों पुरानी दुश्मनी और व्यक्तिगत प्रतिशोध का आरोप लगाया है।इस तरह की आपत्ति के बावजूद पी**.** आई**.** एल**.** की सुनवाई की जा सकती थी यदि याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष साफ हाथों से आता।उन्होंने जानबूझकर और जानबूझकर न्यायालय से कहा है कि एक पूर्व रिट याचिका **(**रिट याचिका सं। **(**पी**.** आई**.** एल**.) 2013** का **4218)** इसी तरह के आधारों पर दायर किया गया था, जिसमें इसी तरह की राहत की मांग की गई थी, जिसे झारखंड उच्च न्यायालय ने लागत के साथ खारिज कर दिया था, एक आदेश जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने **2014** के एस**.** एल**.** पी**.** संख्या **4886** में दिनांकित आदेश द्वारा बरकरार रखा था।**[**पैरा **17] [1169-**जी-एच**; 1170-**ए-बी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.10 याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं, बहुत अधिक सामान्यीकृत हैं और सबूत कहे जाने योग्य किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं हैं।मुखौटा कंपनियों से भ्रष्टाचार और धन की हेराफेरी के आरोप कुछ और नहीं बल्कि एक

एच.

ए.

गन्दा आरोप, किसी भी तरह से आरोपों को साबित किए बिना और इसलिए केवल अदालत से केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो या प्रवर्तन निदेशालय को मामले की अनुसंधान करने का निर्देश देने के लिए कह रहा है।यह और कुछ नहीं बल्कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्यायालय अपनी प्रक्रिया का अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।**[**पैरा **18,19] [1170-**सी-ई**]**

बी.

1.11 याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रत्यर्थीगणओं में से एक, जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्ट तरीकों से भारी संपत्ति अर्जित की है और इस पैसे को लगभग **32** कंपनियों में निवेश किया है, जिनमें से विवरण दिया गया है।याचिकाकर्ता तब इन कंपनियों का विवरण देता है कि निदेशक कौन हैं, आदि। प्रत्यर्थी या उसके रिश्तेदार कंपनियों के निदेशक नहीं हैं।लेकिन फिर याचिकाकर्ता कहता है कि उसके पास जानकारी है कि वह इस पैसे की हेराफेरी कर रहा है और इसे एक रवि केजरीवाल के माध्यम से इन मुखौटा कंपनियों में निवेश कर रहा है जो कथित रूप से मुख्यमंत्री का करीबी सहयोगी है।मुखौटा कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के प्रत्यर्थी के आरोपों को किसी भी प्रकार के साक्ष्य द्वारा पूरक नहीं किया गया है।इन कंपनियों के संचालन के लिए कथित रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया है, लेकिन कोई ठोस सबूत पेश किए बिना, यह कहा गया है कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री से जुड़े/करीबी सहयोगी या संबंधित हैं।इसके अलावा, किसी भी कंपनी को झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान जनहित याचिकाओं में पक्षकार नहीं बनाया गया है।इस प्रकार, उच्च न्यायालय से एक आदेश की मांग की जाती है कि वह प्रवर्तन निदेशालय को कंपनियों को रिट कार्यवाही में एक पक्ष बनाए बिना इन तथाकथित "मुखौटा कंपनियों" की जांच करने का निर्देश दे।यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि वर्तमान दो जनहित याचिकाओं के संबंध में, पुलिस या शिकायतों को आंदोलन करने वाले किसी भी प्राधिकरण के साथ कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है और ये याचिकाएं वैधानिक उपायों का लाभ उठाए बिना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं।**[**पैरा **20] [1172-**ए-ई**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.12 ऐसा नहीं है कि उच्च पदों पर आसीन लोगों की जांच नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उच्च न्यायालय के लिए इन सामान्यीकृत प्रस्तुतियों पर मामले का संज्ञान लेना, जो

न्यायालय को प्रथम दृष्टया संतुष्ट भी नहीं करते हैं, और कुछ नहीं बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।परिचय-पत्रों का खुलासा न करना ए

एच.

1149

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस।

याचिकाकर्ता की याचिका और नियम, **2010** के तहत अनिवार्य किए गए समान राहतों के लिए किए गए पिछले प्रयास इन याचिकाओं को और बदनाम करते हैं।जनहित याचिकाओं में याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष साफ-सुथरे हाथों से नहीं गए।ऐसी याचिका को उसी सीमा पर खारिज किया जा सकता था।यदि याचिकाकर्ता के पास मामले को आगे बढ़ाने का वास्तविक कारण है, तो उसके पास कंपनी अधिनियम या कानून के अन्य प्रावधानों के तहत अपने उपाय उपलब्ध हैं, जहां वह संबंधित अधिकारियों को कंपनियों के निदेशकों या प्रवर्तकों के कुकर्मों से अवगत करा सकता है।लेकिन सामान्यीकृत कथनों पर जो इस स्तर पर केवल आरोप हैं, न्यायालय उच्च संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ कुकर्मों के कथित कृत्यों की जांच करने के लिए एक मंच नहीं बन सकता है।उच्च न्यायालय के लिए एक जनहित याचिका पर विचार करना उचित नहीं था जो केवल आरोपों और आधे-अधूरे सच पर आधारित है, वह भी एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में जो अपनी साख को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया है और अदालत में अशुद्ध हाथों से आया है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।**[**पैरा **21] [1172-**एफ-एच; **1173-**ए**]**

बी.

सी.

डी.

कुंगा निमा लेप्चा बनाम सिक्किम राज्य **(2010) 4** एस. सी. सी. **513:[2010] 3** एस. सी. आर. **787;** उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत

सिंह चौफाल और अन्य। (2010) 3 एससीसी 402:[2010] 1

एससीआर **678;** एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य। **(1987)**

1 एससीसी 395:[1987] 1 एससीआर 819; बाल्को कर्मचारी '

ई.

संघ **(**विनियमित**)**।**v.** भारत संघ और अन्य। **(2002) 2** एससीसी

333 :[2001] 5 पूरक।एससीआर 511; नीतू बनाम पंजाब राज्य (2007) 10 एससीसी 614:[2007] 1 एस. सी. आर. 223; अशोक कुमार

पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य एआईआर **2004** एससी **280**

:[2003] 5 पूरक।एससीआर 716; होलिको पिक्चर्स (पी) लिमिटेड।

बनाम प्रेम चंद मिश्रा (2007) 14 एस. सी. सी. 28; जनता दल

एफ.

वी**.**एच**.** एस**.** चौधरी **(1992) 4** एस**.** सी**.** सी**. 305-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2010] 3 एससीआर **787**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

[2010] 1 एससीआर **678**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

जी.

[1987] 1 एससीआर **819**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[2001] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 511** पैरा **11 [2007] 1** एस**.** सी**.** आर**. 223** पैरा **11 [2003] 5** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **15** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 716**

एच.

1150

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

ए.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील Nos.8233-8234।

2021 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) No.4290 और 2022 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) No.727 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 03.06.2022 के निर्णय और आदेश से]

बी.

के साथ

2022 का एसएलपी (सी) Nos.11364-11365।

मुकुल रोहतगी, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, कपिल सिब्बल, राजीव रंजन, अरुणाभ चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, धवल मोहन, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री आद्या श्री दत्ता, तुषार अरोड़ा, सुश्री पल्लवी लंगर, सुश्री प्रज्ञा बघेल, जयंत मोहन, अनिरुद्ध महेदेवन सेठी, डेचेन डब्ल्यू. लाचुंगपा, सुश्री अनुषा, सुश्री अपराजित जामवाल, एस. के. अब्बास, कर्मा दोरजी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सी.

एस. वी. राजू, के. एम. नटराज, ए. एस. जी., अभिनव रामकृष्ण, अभिषेक राय, वत्सल जोशी, विनायक शर्मा, सुश्री इंदिरा भाकर, अनिरुद्ध शर्मा, अनुज श्रीनिवास उडुप्पा, नकुल चेंगप्पा के. के., मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सुधांशु धूलिया**,** जे।

ई.

अनुमति दी गई

1.उपरोक्त दो याचिकाएं झारखंड राज्य द्वारा निवासी आयुक्त के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 03.06.2022 के आदेशों को चुनौती दी गई है, जहां उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रत्यर्थी नं।1 झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय हैं, और इस प्रकार उच्च न्यायालय ने अपने गुण-दोष के आधार पर मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया।याचिकाकर्ता यहाँ इन दो जनहित याचिकाओं की रखरखाव को चुनौती देता है। पक्षकारों को विस्तार से सुनने के बाद, इस न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपने आदेश सुरक्षित रख लिए थे और निर्देश दिया था कि इस बीच उच्च न्यायालय मामले में आगे नहीं बढ़ेगा।

एफ.

जी.

2. इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह है कि क्या जनहित याचिकाओं के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई याचिकाएं इस न्यायालय द्वारा अपने पहले के कई फैसलों में निर्धारित कानून की स्थिर स्थिति को देखते हुए बनाए रखने योग्य हैं।सवाल ए।

एच.

1151

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

यह भी है कि क्या ये जनहित याचिकाएं जनहित याचिकाओं से संबंधित नियमों के प्रावधानों का पालन करती हैं, जो कि झारखंड उच्च न्यायालय (जनहित याचिका) नियम, 2010 (संक्षेप में "नियम, 2010") है और यदि वे नहीं करती हैं, तो क्या जनहित याचिकाओं के रूप में दायर की गई याचिकाएं जनहित याचिका से संबंधित उपरोक्त नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही थीं, तो उन्हें बहुत हद तक खारिज किया जा सकता है।

बी.

3. श्री शिवशंकर शर्मा नामक एक ही व्यक्ति द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दो जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं।2021 की पहली रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 4290 में निम्नलिखित राहत मांगी गई थीः-

“ए. प्रत्यर्थीगणओं पर निर्देश के लिए विशेष रूप से प्रत्यर्थीगण की विशेष रूप से प्रत्यर्थीगण नहीं। 3 1 प्रत्यर्थी सं. के नाम पर सोरेन परिवार के हस्तांतरित धन की जांच करना।’एस, 8 से 13 तक और आयकर विभाग को यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं कि कैसे 28 कंपनियों का उपयोग गलत तरीके से अर्जित धन के लिए पार्किंग स्थल के रूप में किया गया है।

सी.

डी.

बी. प्रत्यर्थी पर निर्देश के लिए नं। 3 प्रत्यर्थी सं. की आय के स्रोतों की जांच करना। 8 से 13 क्योंकि उन्होंने हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के करीबी दोस्त होने के नाते होटलों की श्रृंखला के रूप में कई कंपनियों में पैसा निवेश किया है क्योंकि यह दिखाया गया है कि मालिक रंजन साहू हैं और होटल और रेस्तरां की हॉटलिप श्रृंखला जो मुख्यमंत्री के निवासियों के पास एक छोटे से क्षेत्र में स्थित थी और बाद में हटा दी गई थी, कांके रोड, रतन लाल कॉम्प्लेक्स, रातू रोड, लालपुर, हिनू और कामरे में स्थित छह होटल श्रृंखलाओं में बदल गई है।

ई.

ग. प्रत्यर्थी पर निर्देश के लिए सं। 4 2 हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वित्तीय अपराध की भी जांच करने के लिए जो आय ने रवि केजरीवाल को दी है क्योंकि वह बचपन से उनसे जुड़ा

हुआ है और होटलों और रेस्तरां की हॉटलिप्स श्रृंखला के तथाकथित मालिक रंजन साहू के साथ भी घनिष्ठ संबंध रखता है और यह भी जांच कर सकता है कि किस समय और स्थान पर श्री हेमंत सोरेन ने अवैध रूप से काम किया है और करोड़ों रुपये कमाए हैं और इन व्यक्तियों के नाम पर निवेश किया है।

एफ.

जी.

घ. प्रत्यर्थी पर निर्देश के लिए सं. 5 अपराध के धन के लेन-देन की जांच करने के लिए प्रतिवादी सं. 8 से 13

1 प्रत्यर्थी संख्या 3 केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो है।2 प्रत्यर्थी संख्या 4 प्रवर्तन निदेशालय है।

एच.

और उन्होंने भारी संपत्ति जमा कर ली है और चुनाव के समय हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा को पैसा वापस कर दिया है।

ई. इस मामले के तथ्यों के आलोक में किसी भी अन्य राहत या राहत के लिए जो यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे।"

बी.

2022 की दूसरी रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 727 में निम्नलिखित राहत मांगी गई थीः-

"उ. प्रत्यर्थी संख्या 9 पर अभियोजन के लिए मंजूरी देने के निर्देश के लिए, "मुख्यमंत्री सह, खान विभाग के मंत्री पर, पद के दुरुपयोग के कार्य और अपने नाम पर खनन पट्टा कराने के लिए मुकदमा चलाने के लिए, हालांकि, वह एक विभागीय मंत्री/मुख्यमंत्री होने के नाते खनन का व्यवसाय (संविधान का अनुच्छेद 191 (9)) नहीं कर सकता है, और आपराधिक कार्य भी करता है, इसलिए वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और आईपीसी की धारा 7 (ए) और 13 (आई) (डी) के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है, और झारखंड विधानसभा की अपनी सदस्यता को भी रद्द करने के लिए, और साथ ही उसने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 का उल्लंघन किया है और अंत में, उसने आचार भारतीय दण्ड संहिता का उल्लंघन किया है।अनुसंधान बअनुसंधान ीअनुसंधान .अनुसंधान प्रत्यर्थीगणअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ोअनुसंधान अनुसंधान वअनुसंधान

िअनुसंधान शअनुसंधान ेअनुसंधान षअनुसंधान अनुसंधान रअनुसंधान ूअनुसंधान पअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ेअनुसंधान प्रत्यर्थीअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ंअनुसंधान खअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान 1 अनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ुअनुसंधान खअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान चअनुसंधान िअनुसंधान वअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान झअनुसंधान ाअनुसंधान रअनुसंधान खअनुसंधान ंअनुसंधान डअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ोअनुसंधान अनुसंधान खअनुसंधान ाअनुसंधान नअनुसंधान अनुसंधान वअनुसंधान िअनुसंधान भअनुसंधान ाअनुसंधान गअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान ्अनुसंधान रअनुसंधान ाअनुसंधान सअनुसंधान ंअनुसंधान गअनुसंधान िअनुसंधान कअनुसंधान अनुसंधान फअनुसंधान ाअनुसंधान इअनुसंधान लअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान रअनुसंधान कअनुसंधान ्अनुसंधान षअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान रअनुसंधान नअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान नअनुसंधान िअनुसंधान रअनुसंधान ्अनुसंधान दअनुसंधान ेअनुसंधान शअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान लअनुसंधान िअनुसंधान एअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान जअनुसंधान िअनुसंधान सअनुसंधान मअनुसंधान ेअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान अअनुसंधान ंअनुसंधान गअनुसंधान दअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ौअनुसंधान जअनुसंधान ाअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान थअनुसंधान ाअनुसंधान नअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ंअनुसंधान खअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान 2 अनुसंधान 6 अनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान खअनुसंधान ाअनुसंधान तअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ंअनुसंधान खअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान 1 अनुसंधान 8 अनुसंधान 7 अनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान ्अनुसंधान लअनुसंधान ॉअनुसंधान टअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ंअनुसंधान खअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान 4 अनुसंधान 8 अनुसंधान 2 अनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान उअनुसंधान सअनुसंधान अनुसंधान आअनुसंधान शअनुसंधान यअनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान तअनुसंधान ्अनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान (अनुसंधान एअनुसंधान लअनुसंधान ओअनुसंधान आअनुसंधान ईअनुसंधान)अनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान लअनुसंधान िअनुसंधान एअनुसंधान अनुसंधान 0 अनुसंधान .अनुसंधान 8 अनुसंधान 8 अनुसंधान अनुसंधान एअनुसंधान कअनुसंधान डअनुसंधान ़अनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ्अनुसंधान षअनुसंधान ेअनुसंधान तअनुसंधान ्अनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान खअनुसंधान नअनुसंधान नअनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान टअनुसंधान ्अनुसंधान टअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान 1 अनुसंधान 6 अनुसंधान .अनुसंधान 0 अनुसंधान 6 अनुसंधान .अनुसंधान 2 अनुसंधान 1 अनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान जअनुसंधान ाअनुसंधान रअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान िअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान गअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान

अनुसंधान थअनुसंधान ाअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान खअनुसंधान नअनुसंधान नअनुसंधान अनुसंधान यअनुसंधान ोअनुसंधान जअनुसंधान नअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ंअनुसंधान जअनुसंधान ूअनुसंधान रअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान 1 अनुसंधान 0 अनुसंधान .अनुसंधान 0 अनुसंधान 7 अनुसंधान .अनुसंधान 2 अनुसंधान 1 अनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान दअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान गअनुसंधान ईअनुसंधान अनुसंधान थअनुसंधान ीअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान खअनुसंधान नअनुसंधान नअनुसंधान अनुसंधान यअनुसंधान ोअनुसंधान जअनुसंधान नअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ोअनुसंधान अनुसंधान 0 अनुसंधान 9 अनुसंधान .अनुसंधान 0 अनुसंधान 9 अनुसंधान .अनुसंधान 2 अनुसंधान 1 अनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ंअनुसंधान जअनुसंधान ूअनुसंधान रअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान दअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान गअनुसंधान ईअनुसंधान अनुसंधान थअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान औअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान अअनुसंधान ंअनुसंधान तअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ेअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान 0 अनुसंधान 9 अनुसंधान .अनुसंधान 0 अनुसंधान 9 अनुसंधान .अनुसंधान 2 अनुसंधान 1 अनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान रअनुसंधान प्रत्यर्थीअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ंअनुसंधान खअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान 7 अनुसंधान अनुसंधान नअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान आअनुसंधान वअनुसंधान ेअनुसंधान दअनुसंधान नअनुसंधान अनुसंधान दअनुसंधान िअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान थअनुसंधान ाअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान जअनुसंधान िअनुसंधान सअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान इअनुसंधान तअनुसंधान नअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान मअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान मअनुसंधान यअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान भअनुसंधान ीअनुसंधान तअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान 1 अनुसंधान 4 अनुसंधान -अनुसंधान 1 अनुसंधान 8 अनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान िअनुसंधान तअनुसंधान ंअनुसंधान बअनुसंधान रअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान 2 अनुसंधान 0 अनुसंधान 2 अनुसंधान 1 अनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान अअनुसंधान पअनुसंधान नअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान 9 अनुसंधान 0 अनुसंधान वअनुसंधान ीअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान बअनुसंधान ैअनुसंधान ठअनुसंधान कअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ेअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ंअनुसंधान जअनुसंधान ूअनुसंधान रअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान दअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान गअनुसंधान ईअनुसंधान अनुसंधान थअनुसंधान ीअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान हअनुसंधान ाअनुसंधान लअनुसंधान ाअनुसंधान ंअनुसंधान कअनुसंधान िअनुसंधान अनुसंधान एअनुसंधान सअनुसंधान ईअनुसंधान आअनुसंधान ईअनुसंधान एअनुसंधान एअनुसंधान अनुसंधान नअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान इअनुसंधान सअनुसंधान कअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान बअनुसंधान ाअनुसंधान दअनुसंधान अनुसंधान नअनुसंधान एअनुसंधान अनुसंधान उअनुसंधान चअनुसंधान ्अनुसंधान चअनुसंधान अनुसंधान

नअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान लअनुसंधान यअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान इअनुसंधान मअनुसंधान ाअनुसंधान रअनुसंधान तअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ोअनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान रअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान वअनुसंधान रअनुसंधान णअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ंअनुसंधान जअनुसंधान ूअनुसंधान रअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान दअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान दअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान हअनुसंधान ैअनुसंधान ।अनुसंधान अनुसंधान 7 अनुसंधान अनुसंधान &अनुसंधान 8.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

ग. प्रत्यर्थी सी. बी. आई. को विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 7 जैसे व्यक्ति द्वारा किए गए अवैध खनन के इतिहास की जांच करने के निर्देश के लिए और उसके प्रभाव के कारण, श्री सोरेन द्वारा केवल कानून के प्रावधानों के खिलाफ बेची गई सार्वजनिक संपत्तियों में अवैध खनन किया जाता है।

एच.

1153

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

ए.

घ. इस मामले के तथ्यों के आलोक में किसी भी अन्य राहत या राहत के लिए जो यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे।”

प्रत्यर्थीगणइप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणदप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणटप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणचप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणओप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणअप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणबप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणथप्रत्यर्थीगण-

प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणथप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणझप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणखप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगणडप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणजप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणकप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणथप्रत्यर्थीगण-
प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणथप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणवप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणा
प्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणुप्रत्यर्थीगणखप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणयप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगणतप्र
त्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणशप्रत्यर्थीगण्प्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणहप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणंप्रत्यर्थीगणतप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणसप्रत्यर्थीगणोप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगणनप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणभप्रत्यर्थीगणीप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणशप्रत्यर्थीगणाप्रत्यर्थीगणमप्रत्यर्थीगणिप्रत्यर्थीगणलप्रत्यर्थीगण
प्रत्यर्थीगणथप्रत्यर्थीगणेप्रत्यर्थीगण।प्रत्यर्थीगणइन दोनों प्रत्यर्थीगण द्वारा रिट याचिका की स्थिरता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी।आपत्तियाँ यह भी उठाई गईं कि रिट याचिकाएँ याचिकाकर्ता के विवरण और साख का खुलासा नहीं करती हैं और न ही यह नियम, 2010 के नियम 4,4 ए, 4 बी, 5 द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करती हैं।

बी.

4. चूंकि, न्यायालय ने फिर भी मामले को आगे बढ़ाया, इसलिए याचिकाकर्ता ने पहले इन दो जनहित याचिकाओं के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी।यह मामला इस न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष आया और 2022 के एसएलपी (सी) संख्या 9728-9730 में 24.05.2022 पर निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:

सी.

“झारखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष तीन रिट याचिकाओं का एक समूह लंबित है:

डी.

(i) (2019 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 4632 में; याचिकाकर्ता, अरुण कुमार दुबे, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय दंड संहिता की धारा 406,409,420,423,429,465 और 1208 और धारा 11 के तहत अपराधों को निहित करते हुए खूंटी जिला परिषद को मनरेगा निधि के वितरण से उत्पन्न होने वाले कथित अपराधों से संबंधित 15 प्राथमिकियों की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश देने की मांग करता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के 12 (2) और 13 (1) (ई);

ई.

एफ.

(ii) 2021 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 4290 में; याचिकाकर्ता, शिव शंकर शर्मा एस. एल. पी. सी. आर. के कथित हस्तांतरण की अनुसंधान के लिए निर्देश चाहते हैं। 9729-कुछ मुखौटा कंपनियों के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 8 से 13 के नाम पर सोरेन परिवार द्वारा धन; और

जी.

(iii) 2022 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 727 में याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके नाम पर खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए अभियोजन को मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की है।

एच.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अपराध।5. 22 अप्रैल 2022 को, जब मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक खंड पीठ के समक्ष 2021 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 4290 आई, तो अदालत ने राज्य के अधिवक्ता का निवेदन दर्ज किया कि "एक समान रिट याचिका को इस अदालत द्वारा उसी अधिवक्ता द्वारा दायर खर्च के साथ खारिज कर दिया गया था और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया था" जहां विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी।कंपनी पंजीयक के पक्ष में कुछ प्रक्रियात्मक निर्देश जारी करने के बाद, खंड पीठ ने निर्देश दिया कि 2021 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 4290 की कार्यवाही को 1 मई 2022 को 2013 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 4218 के रिकॉर्ड के साथ रखा जाए।

बी.

सी.

6. 13 मई, 2022 को, उच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति जताते हुए झारखंड राज्य की दलीलों को नोट किया।निम्नलिखित उद्धरण में इसका वर्णन किया गया है:

डी.

“इस मोड़ पर झारखंड राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें मामले की सुनवाई के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठानी है।

हम सुनवाई की अगली तारीख को प्रारंभिक आपत्ति और फिर आवश्यकता पड़ने पर योग्यता पर भी विचार करेंगे।

ई.

7. उच्च न्यायालय ने 17 मई 2022 को कार्यवाही स्थगित कर दी।17 मई 2022 को, उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से प्रस्तुत एक सीलबंद लिफाफे पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता के इस निवेदन पर ध्यान दिया कि 2019 की डब्ल्यू. पी. (पी. आई. एल.) संख्या 4362 को उस याचिका के साथ रखा जा सकता है जिस पर उच्च न्यायालय सुनवाई की अगली तारीख पर विचार कर रहा था और तदनुसार कार्यवाही को 19 मई 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।19 मई 2022 को उच्च न्यायालय ने 2022 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 727,2019 की 4632 और 2021 की 4290 में अलग-अलग आदेश पारित किए हैं।उच्च न्यायालय ने 24 मई 2022 को कार्यवाही स्थगित कर दी।

एफ.

जी.

8. 2021 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 4290 में 13 मई 2022 और 17 मई 2022 के आदेशों को चुनौती देने के लिए झारखंड राज्य द्वारा विशेष अनुमति याचिकाएं शुरू की गई हैं।

9. हमने झारखंड राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल, श्री मुकल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.

एच.

1155

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

छठे प्रत्यर्थी (श्री हेमंत सोरेन) और श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल की ओर से केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए।

10. वर्तमान आदेश के पूर्व भाग में वर्णित घटनाओं का क्रम इंगित करता है कि उच्च न्यायालय ने 13 मई 2022 के अपने आदेश द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किया था कि वह 2021 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 4290 की स्थिरता पर प्राथमिक आपत्ति

पर विचार करेगा और उसके बाद, यदि आवश्यक हो, सुनवाई की अगली तारीख को गुण-दोष पर विचार करेगा।

बी.

11. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने झारखंड उच्च न्यायालय (जनहित याचिका) नियम, 2010 के प्रावधानों, विशेष रूप से नियम 4,4-ए, 4-बी और 5 के प्रावधानों को स्वीकार किया है।

सी.

12. चूँकि उच्च न्यायालय ने 13 मई 2022 के अपने आदेश में कहा है कि वह याचिका की स्थिरता पर पहले ही विचार करेगा, इसलिए हमारा विचार है कि न्याय के हित में यह उचित होगा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंड पीठ जनहित याचिका के गुण-दोष पर आगे बढ़े बिना ऐसा करे।

डी.

13. रखरखाव के मुद्दे को उच्च न्यायालय द्वारा सूचीबद्ध करने की अगली तारीख पर निपटाया जाना चाहिए जब कार्यवाही शुरू की जाए।कार्यवाहियों की स्थिरता पर आपत्तियों के परिणाम के आधार पर, उच्च न्यायालय इसके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

ई.

14. विशेष अवकाश याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।15. इस न्यायालय को विशेष अनुमति याचिकाओं में उत्पन्न प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर विचार करने का कोई अवसर नहीं मिला है या न ही इस न्यायालय के लिए रिट याचिका में लगाए गए आरोपों पर कोई विचार व्यक्त करना आवश्यक हो गया है क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जो उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।16. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।”

एफ.

जी.

5. इस प्रकार, इस न्यायालय के दिनांक 1 के आदेशों के परिणामस्वरूप, झारखंड उच्च न्यायालय को मामले पर आगे बढ़ने से पहले दो जनहित याचिकाओं की स्थिरता पर अपना निष्कर्ष देना पड़ा। उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थीगण को सुनने के बाद आया है

एच.

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि जनहित याचिकाओं में एक अत्यंत गंभीर मामला उठाया गया है, जहां झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री के हाथों बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और भले ही जनहित याचिकाएं दायर करने में कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताएं हो सकती हैं जो याचिका पर विचार करने में अदालत के रास्ते में नहीं आनी चाहिए, जो जनहित में है।इसके अलावा, नियमों (यानी, नियम 4,4-ए, 4-बी, नियम, 2010 के 5) के बारे में, जिन्हें हम जल्द ही संदर्भित करेंगे, यह माना गया है कि वे निर्देशिका हैं और प्रकृति में अनिवार्य नहीं हैं। नतीजतन, दिनांक 03.06.2022 के आदेश द्वारा न्यायालय ने माना है कि जनहित याचिकाएं बनाए रखने योग्य हैं और उनकी योग्यता के आधार पर निपटा जाएगा।इस आदेश को वर्तमान में इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई है।

बी.

सी.

6. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हम निजी प्रत्यर्थी संख्या 1 (यानी, शिव शंकर शर्मा) द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिकाओं के रूप में दायर दो रिट याचिकाओं से चिंतित हैं।पहली रिट याचिका 2021 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 4290 है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि आयकर महानिदेशालय को शेल कंपनियों के माध्यम से निजी प्रत्यर्थीगणओं के नाम पर सोरेन परिवार द्वारा हस्तांतरित धन की अनुसंधान करने और निजी प्रत्यर्थीगणओं की आय के स्रोत की अनुसंधान करने और प्रत्यर्थी संख्या 6 यानी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वित्तीय अपराध की अनुसंधान करने का निर्देश दिया जाए।7. 2022 की दूसरी रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 727 वह है जिसमें मुख्यमंत्री, जो खान विभाग में मंत्री भी हैं, पर मुकदमा चलाने का निर्देश देने की मांग की गई है।इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने नाम से खनन पट्टा प्राप्त करने में अपने पद का दुरुपयोग किया है।जहाँ तक दूसरी रिट याचिका का संबंध है, झारखंड राज्य द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के साथ-साथ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के समक्ष एक जवाब दायर किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में मामले के पूरे तथ्य नहीं बताए गए हैं और उन्होंने जानबूझकर भौतिक तथ्यों को दबा दिया है।खनन पट्टा, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री के पक्ष में दिया गया है, अंगधा मौजा, थाना संख्या 26, खाता संख्या 2, प्लॉट संख्या 1 में स्थित एक भूमि पर है और भूमि का कुल क्षेत्रफल केवल 0.88 एकड़ है।यह श्री हेमंत सोरेन को 10 साल की पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद 17.05.2008 से 17.05.2018 के बीच 10 साल की अवधि के लिए आवंटित किया गया था, इसके नवीनीकरण के लिए श्री हेमंत सोरेन द्वारा 06.06.2018 पर देर से आवेदन किया गया था

और उस समय तक पट्टा समाप्त हो चुका था।इसके बाद 2021 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 1 के माध्यम से जो 27.03.2021 पर जारी की गई थी, खनन पट्टा ए के लिए नए आवेदन

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1157

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

आमंत्रित किए गए थे।श्री हेमंत सोरेन के पक्ष में 16.06.2021 पर एक आशय पत्र दिया गया था।तथापि, प्रत्यर्थी संख्या 7, अर्थात श्री हेमंत सोरेन ने जिला खनन अधिकारी, रांची को तत्काल प्रभाव से खनन पट्टा सौंपने के लिए लिखा।झारखंड लघु खनिज रियायत नियम, 2004 की धारा 26 के अनुसार श्री हेमंत सोरेन द्वारा जमा की जाने वाली छह महीने की रॉयल्टी की अग्रिम मांग और खनन पट्टे को सरेंडर कर दिया गया था और 11.02.2022 पर नियमों के तहत स्वीकार कर लिया गया था।इसलिए, 2022 की दूसरी रिट याचिका (पी. आई. एल.) No.727 दाखिल करने के समय प्रत्यर्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 7 के पक्ष में कोई खनन पट्टा नहीं था क्योंकि वह पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था।झारखंड राज्य ने अपने दिनांक 1 के जवाब में यह भी कहा है कि हालांकि श्री हेमंत सोरेन के पक्ष में पट्टे का नवीनीकरण किया गया था, लेकिन खनन पट्टे वाले क्षेत्र में कोई खनन गतिविधि या पत्थर का निष्कर्षण नहीं हुआ था।इसके अलावा, इस संबंध में यदि कोई विसंगति की गई है और प्रत्यर्थी संख्या 7 को अपने पक्ष में खनन पट्टा होने के कारण अपने पद से अयोग्यता का सामना करना पड़ता है, तो इस संबंध में मामला 2022 के संदर्भ मामले संख्या 3 (जी) में भारत के चुनाव आयोग के समक्ष जांच लंबित है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 3 के तहत झारखंड के माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदर्भ पर दर्ज है।भारत के चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को 08.04.2022 पर एक नोटिस जारी किया है जिसमें कुछ जानकारी मांगी गई है जो राज्य द्वारा अपने दिनांकित 26.04.2022 पत्र के माध्यम से विधिवत प्रदान की गई थी।दूसरे शब्दों में, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के पक्ष में खनन पट्टा और पद से उनकी अयोग्यता के संबंध में यह मामला भारत के चुनाव आयोग के पास विचाराधीन है।दूसरी रिट याचिका के लिए जो हमारे विचार में पूरी तरह से इस न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

बी.

सी.

डी.

ई.

8. पहली रिट याचिका सं। (पी. आई. एल.) 2021 का 4290 आरोप जो मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों में निवेश किए जाने के आरोप लगाए गए थे, वे फिर से केवल आरोप हैं। याचिकाकर्ता ने वास्तव में अदालत से अनुसंधान की मांग की है।यह इस संबंध में सी. बी. आई. या प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों को जांच करने के लिए आदेश देने का अनुरोध करता है।यह हमारे विचार में फिर से एक है

एफ.

जी.

3 अनुच्छेद 192।सदस्यों की अयोग्यता के बारे में प्रश्नों पर निर्णय -

(1) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में उल्लिखित किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न राज्यपाल के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले राज्यपाल चुनाव आयोग की राय लेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा।

एच.

न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग, क्योंकि याचिका में बेतुके और व्यापक आरोपों की कमी है, न्यायालय के समक्ष ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है जिसे किसी भी तरह से प्रथम दृष्टया सबूत कहा जा सके।इसके अलावा, याचिकाकर्ता का अधिकार संदिग्ध है और यह स्पष्ट तथ्य कि उसने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है, इसे एक ऐसा मामला बनाता है जिसे बहुत हद तक खारिज किया जा सकता है।

बी.

9. कुंगा निमा लेप्चा बनाम सिक्किम राज्य **4** के मामले में यह न्यायालय

इसी तरह की परिस्थितियों में यह माना गया है कि एक रिट अदालत इस तरह की अनुसंधान शुरू करने की मांग के लिए एक उपयुक्त मंच नहीं है।कुंगा निमा लेप्चा (उपरोक्त) के तथ्यों का संदर्भ हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक होगा।उपरोक्त मामले में, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका सीधे इस अदालत के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने

आरोप लगाया था कि सिक्किम राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री (प्रत्यर्थी संख्या 2) ने अपने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया था और अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।यह भी आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री ने भारत सरकार और सिक्किम सरकार की कीमत पर बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है।इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए सी. बी. आई. को निर्देश देने के लिए थी।इस न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि एक संवैधानिक न्यायालय इस प्रकृति के निवारण की मांग करने का मंच नहीं है।रिट अधिकारिता के माध्यम से विकसित उपचार असाधारण प्रकृति के हैं और राहत नियत समय के रूप में नहीं दी जा सकती है, जहां याचिकाकर्ता के लिए वैधानिक उपचार उपलब्ध हैं।फैसले के पैरा 14 से 17 में इस प्रकार कहा गया थाः“14. वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने एक अस्पष्ट तर्क दिया है कि श्री पवन चामलिंग की ओर से भ्रष्टाचार के कथित कृत्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।हम इस दावे में कोई योग्यता नहीं पाते हैं क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या दो या दो से अधिक वर्गों के व्यक्तियों के बीच अनुचित भेदभाव होने पर "कानून के समक्ष समान सुरक्षा" या "कानून के समक्ष समानता" की गारंटी का उल्लंघन किया जाता है।स्पष्ट रूप से, सरकारी खजाने से गबन के कथित कृत्यों को स्वचालित रूप से "कानून के समक्ष समान संरक्षण" की गारंटी के उल्लंघन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

15. इसके अलावा, हमें इस तथ्य पर जोर देना चाहिए कि कथित कार्य आसानी से वैधानिक अपराधों के दायरे में आ सकते हैं जैसे कि

4 (2010) 4 एससीसी 513 ए

एच.

1159

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

"आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति रखने" के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत "आपराधिक कदाचार" के रूप में।ऐसे मामलों की अनुसंधान

शुरू करने की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से राज्य पुलिस, केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सी. बी. आई.) या केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी. वी. सी.) जैसी अनुसंधान एजेंसियों पर है।इस न्यायालय के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र के तहत इस तरह की अनुसंधान शुरू करने के लिए निर्देश देना उचित नहीं है।

बी.

16. हालांकि यह सच है कि अतीत में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों ने वास्तव में आपराधिक मामलों में जांच से संबंधित उपाय दिए हैं, हमें वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए।अतीत में, रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग चल रही जांच की प्रगति की निगरानी करने या चल रही जांच को एक जांच एजेंसी से दूसरी एजेंसी में स्थानांतरित करने के लिए किया गया है।इस तरह के निर्देश तब दिए गए हैं जब मौलिक अधिकारों का एक विशिष्ट उल्लंघन दिखाया गया है, जो अन्य कारणों के साथ-साथ जांच एजेंसियों की ओर से उदासीनता या पक्षपात का परिणाम हो सकता है।कुछ मामलों में, गवाहों को भौतिक धमकी, साक्ष्य का विनाश या शक्तिशाली हितों से अनुचित दबाव जैसे अनुसंधान प्रक्रिया में बाधाओं के कारण रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।इन सभी परिस्थितियों में, रिट अदालत केवल यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुधारात्मक भूमिका निभा सकती है कि अनुसंधान की अखंडता से समझौता न किया जाए।हालांकि, एक रिट अदालत के लिए अनुसंधान शुरू करने का आदेश देना व्यवहार्य नहीं है।यह कार्य स्पष्ट रूप से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में निहित है और यह स्वयं अनुसंधान एजेंसियों पर निर्भर करता है कि वे यह तय करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत सामग्री अनुसंधान शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती है या नहीं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

17. यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसे प्रावधान हैं जो पहली बार की अदालतों को चल रही जांच पर एक निश्चित स्तर का नियंत्रण रखने का अधिकार देते हैं।इसलिए निचली अदालत द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है और इसके लिए विशिष्ट मानकों के अभाव में आपराधिक जांच में हस्तक्षेप करना रिट अदालतों के लिए उचित नहीं है।"

जी.

10. इस न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता को सीधे जांच एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए।

दोषारोपण करने वाली सामग्री और फिर यह जांच एजेंसियों को आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है।हालाँकि इस न्यायालय द्वारा एक आशंका जताई गई थी कि यह संभव है कि याचिकाकर्ता के कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के प्रयास निहित हितों से बाधित हो सकते हैं, फिर भी याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध वैधानिक उपायों को पहले समाप्त किया जाना चाहिए और उसके बाद ही वह उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी (यानी जनहित याचिका में याचिकाकर्ता) द्वारा किसी भी तरह से वैधानिक अधिकारियों से संपर्क करने का ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है।अनिवार्य लिखित आदेश जारी करने के लिए मूल आवश्यकता यह है कि याचिकाकर्ता ने उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष इस तरह की राहत की मांग की होगी और केवल जब इससे इनकार किया जाता है तो अदालत से एक अनिवार्य लिखित आदेश के लिए संपर्क किया जा सकता है।इस सिद्धांत को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह न्यायालय एक जनहित याचिका पर विचार कर रहा है।हमारे समक्ष वर्तमान जनहित याचिकाओं के संबंध में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी ने वैधानिक अधिकारियों से संपर्क करने में कोई कदम नहीं उठाया है या प्राथमिकी दर्ज करने में कोई प्रयास नहीं किया है।

बी.

सी.

डी.

11. जनहित याचिका इस न्यायालय द्वारा 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में समाज के विशाल वर्ग की शिकायतों को सुनने के लिए अपनाया गया एक नया रूप था जो गरीब, हाशिए पर थे और जिनके पास अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था।इस प्रकार यह जनहित याचिका ही वह साधन बन गई जिसके द्वारा हमारे समाज के इस बड़े बेजुबान वर्ग को आवाज दी गई (देखें -

ई.

उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल और अन्य। **5** एम**.** सी**.** मेहता

v. भारत संघ और अन्य। 6)।न्यायालय की सख्त प्रक्रियाओं को एक जनहित याचिका में वितरित किया गया था, और इसके शुरुआती चरणों में एक जनहित याचिका पर केवल एक

पत्र, या एक पोस्टकार्ड पर भी विचार किया जा सकता था!इन्हीं कारणों से इसे पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र के रूप में भी जाना जाने लगा है।बलवंत सिंह चौफाल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने इस देश में जनहित याचिका की उत्पत्ति और विकास पर विचार करते हुए इसके विकास को तीन चरणों में विभाजित किया है जो इसके पैरा 43 में निम्नानुसार दिया गया है:-

एफ.

"चरण-I:यह इस न्यायालय के मामलों से संबंधित है जहां मुख्य रूप से हाशिए पर पड़े समूहों और समाज के उन वर्गों के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश और आदेश पारित किए गए थे जो अत्यधिक गरीबी, निरक्षरता और अज्ञानता के कारण इस न्यायालय या उच्च न्यायालयों से संपर्क नहीं कर सकते हैं।

जी.

5 (2010) 3 एससीसी 402 6 (1987) 1 एससीसी 395 ए

एच.

1161

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

चरण-II:यह पारिस्थितिकी, पर्यावरण, वन, समुद्री जीवन, वन्यजीव, पहाड़, नदियों, ऐतिहासिक स्मारकों आदि के संरक्षण, संरक्षण से संबंधित मामलों से संबंधित है।

चरण-III:यह शासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने के लिए न्यायालयों द्वारा जारी किए गए निर्देशों से संबंधित है।" इस न्यायालय ने तब जनहित याचिका के दुरुपयोग का पता लगाया और कहा कि इस महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों, व्यस्त निकायों और प्रचार चाहने वालों के हाथों किया गया है।इसके बाद बाल्को कर्मचारियों के मामलों का संदर्भ दिया गया।

बी.

संघ **(**विनियमित**)**।**v.** भारत संघ और अन्य। **7** और नीतू बनाम राज्य

पंजाब 8 जहाँ जनहित याचिका के रूप में दायर किए गए तुच्छ मामलों को हतोत्साहित किया गया और ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता पर लागत भी लगाई गई।जनहित याचिका दायर करने वाले आवेदक की साख को अत्यधिक महत्व दिया गया था और साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी की प्रकृति की शुद्धता भी जो स्पष्ट होनी चाहिए, अस्पष्ट या अनिश्चित या सामान्यीकृत भी नहीं होनी चाहिए।यह भी माना गया कि किसी को भी दूसरों के चरित्र

को नीचा दिखाने वाले बेतुके और लापरवाह आरोपों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।बलवंत सिंह चौफाल (ऊपर) के पैरा 181 में निम्नलिखित निर्देश दिए गए थेः-

सी.

डी.

“(1) न्यायालयों को वास्तविक और प्रामाणिक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करना चाहिए और बाहरी विचारों के लिए दायर जनहित याचिका को प्रभावी ढंग से हतोत्साहित करना चाहिए और उस पर अंकुश लगाना चाहिए।

ई.

(2) प्रत्येक व्यक्तिगत न्यायाधीश द्वारा जनहित याचिका से निपटने के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करने के बजाय, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए उचित होगा कि वह वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करने और अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ दायर जनहित याचिका को हतोत्साहित करने के लिए उचित रूप से नियम बनाए।नतीजतन, हम अनुरोध करते हैं कि जिन उच्च न्यायालयों ने अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, उन्हें तीन महीने के भीतर नियम बनाने चाहिए।प्रत्येक उच्च न्यायालय के महापंजीयक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए नियमों की एक प्रति इसके तुरंत बाद इस न्यायालय के महासचिव को भेजी जाए।

एफ.

(3) न्यायालयों को जनहित याचिका पर विचार करने से पहले याचिकाकर्ता की साख को प्रथम दृष्टया सत्यापित करना चाहिए।

जी.

(4) पी. आई. एल. पर विचार करने से पहले अदालतों को याचिका की सामग्री की शुद्धता के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए।

7 (2002) 2 एससीसी 333 8 (2007) 10 एससीसी 614

एच.

(5) अदालतों को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि याचिका पर विचार करने से पहले पर्याप्त सार्वजनिक हित शामिल है।

(6) न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस याचिका में व्यापक जनहित, गंभीरता और तात्कालिकता शामिल है, उसे अन्य याचिकाओं पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बी.

(7) पी. आई. एल. पर विचार करने से पहले अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पी. आई. एल. का उद्देश्य वास्तविक सार्वजनिक नुकसान या सार्वजनिक चोट का निवारण है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका दायर करने के पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ, निजी उद्देश्य या अप्रत्यक्ष उद्देश्य न हो।(8) न्यायालयों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यस्त निकायों द्वारा बाहरी और गलत उद्देश्यों के लिए दायर याचिकाओं को अनुकरणीय लागतों को लागू करके या तुच्छ याचिकाओं और बाहरी विचारों के लिए दायर याचिकाओं पर अंकुश लगाने के लिए समान नए तरीकों को अपनाकर हतोत्साहित किया जाना चाहिए।"

सी.

बलवंत सिंह चौफाल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्देशों के परिणामस्वरूप प्रत्येक उच्च न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय सहित जनहित याचिका से निपटने के लिए अपने नियम बनाए हैं।हमारे उद्देश्य के लिए सुसंगत नियम नियम 4,4-ए, 4-बी, 5 और 6 होंगे।इन नियमों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

डी.

"4. याचिकाकर्ता एक जनहित याचिका में बताएगा कि

याचिका के पैराग्राफ-1 में मांगी गई राहत और उसके पैराग्राफ-2 में दिए गए आधार को स्पष्ट करें।पैराग्राफ-3 में, याचिकाकर्ता अपना पूरा और पूरा विवरण देगा ताकि जनहित याचिका के लिए प्रासंगिक उसकी रुचि, साख और योग्यताओं को प्रकट किया जा सके, साथ ही यह घोषणा की जा सके कि उसका जनहित याचिका के विषय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्तिगत हित नहीं है।इसके अलावा, याचिकाकर्ता उपलब्ध सहायक आंकड़ों, रिपोर्टों आदि के साथ सभी प्रासंगिक तथ्यों को निर्धारित करेगा।

ई.

एफ.

4-उ. यदि व्यक्ति निकाय की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर की जाती है, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाए, चाहे वह पंजीकृत हो या अपंजीकृत और चाहे निगमित हो या नहीं, तो याचिका में ऐसे निकाय का पूरा विवरण और इतिहास देना चाहिए, और उस मुकदमे में ऐसे निकाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस व्यक्ति के अधिकार को भी

स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए ताकि उस निकाय के सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी निर्णय लिया जा सके।

जी.

4-ख. प्रत्येक जनहित याचिका कालानुक्रमिक रूप से अपने परिणाम के साथ ऐसे सभी अन्य और पहले के प्रयासों का विस्तार से उल्लेख करेगी, जो

एच.

1163

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

वे याचिकाकर्ता की जानकारी में हैं, और जो याचिकाकर्ता या अन्य लोगों द्वारा जनहित याचिका द्वारा मांगी गई राहत प्राप्त करने के लिए किए गए हैं।

5. केवल वास्तविक और प्रामाणिक सार्वजनिक हित को प्रोत्साहित करना।

के लिए दायर जनहित याचिका को मुकदमा और हतोत्साहित करना

अतिरिक्त रूप से, जनहित याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ किसी भी मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करने से पहले याचिकाकर्ता की प्रथम दृष्टया साख का सत्यापन करेगी।इसके बाद, महाधिवक्ता या किसी अन्य प्राधिकारी को नोटिस जारी किया जा सकता है ताकि मामले की सुनवाई करने वाली पीठ को याचिका या सूचना की सामग्री की शुद्धता के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्टि मिल सके।

बी.

सी.

जनहित याचिका के समान ही मनोरंजक।

6. उपरोक्त उद्देश्य के लिए, एक जनहित याचिका, पहले उपयुक्त खंड पीठ के समक्ष "आदेशों के लिए" शीर्षक के तहत उपयुक्त कार्यालय टिप्पणियों के साथ सूचीबद्ध की जाएगी।

डी.

6-उ. उपरोक्त प्रक्रिया में संबंधित पीठ द्वारा, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, उन मामलों में ढील दी जा सकती है, जिनमें न्यायालय द्वारा इस तरह के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने में होने वाली देरी की अनुमति देना व्यावहारिक नहीं है।" उपरोक्त नियम, 2010 बलवंत सिंह चौफाल (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार बनाए गए थे।नियम बनाए जाने थे ताकि यह अलग-

अलग न्यायाधीशों पर नहीं छोड़ा जा सके कि वे अपनी प्रक्रिया तैयार करें, बल्कि एक जनहित याचिका पर विचार करने में एकरूपता सुनिश्चित करें, और वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करें और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से दायर की जाने वाली जनहित याचिका को हतोत्साहित करें।एक निर्देश में कहा गया था:"(2) प्रत्येक व्यक्तिगत न्यायाधीश द्वारा जनहित याचिका से निपटने के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करने के बजाय, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए उचित होगा कि वह वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करने और अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ दायर जनहित याचिका को हतोत्साहित करने के लिए उचित रूप से नियम बनाए।नतीजतन, हम अनुरोध करते हैं कि जिन उच्च न्यायालयों ने अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, उन्हें तीन महीने के भीतर नियम बनाने चाहिए।प्रत्येक उच्च न्यायालय के महापंजीयक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए नियमों की एक प्रति इसके तुरंत बाद इस न्यायालय के महासचिव को भेजी जाए।"

ई.

एफ.

जी.

इसलिए इन नियमों के महत्व को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता है।

एच.

12. जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता की ईमानदारी जनहित याचिका में महत्वपूर्ण है। यह एक अत्यंत प्रासंगिक विचार है और इसकी अदालत द्वारा बहुत ही सीमा पर जांच की जानी चाहिए और यह याचिकाकर्ता द्वारा एक जनहित याचिका में उच्च सार्वजनिक कारण का समर्थन किए जाने के बावजूद किया जाना चाहिए।

13. आइए अब हम पी. आई. एल. की प्रकृति की जांच करें जो हमारे सामने है, यानी डब्ल्यू. पी. (पी. आई. एल.) 2021 की सं. 4290।याचिकाकर्ता जिसने इस जनहित याचिका के साथ-साथ अन्य जनहित याचिका (डब्ल्यू. पी. (पी. आई. एल.) 2022 का सं. 727), और उनमें राहत का उल्लेख पहले ही ऊपर किया जा चुका है।यह एक स्वीकृत मामला है कि वर्ष 2013 में इसी तरह की एक याचिका डब्ल्यू. पी. के रूप में दायर की गई थी। (पी. आई. एल.) 2013 का सं. 4218 (दीवान इंद्रनील सिन्हा बनाम झारखंड राज्य और अन्य) जिसे झारखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 1 करोड़ रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया था। 50, 000/- और उसके बाद इस न्यायालय के समक्ष इस आदेश के खिलाफ एक

एसएलपी दायर की गई थी जिसे दिनांक 28.02.2014 के आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया था।हमारे विचार के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि हालांकि उक्त याचिका एक अलग व्यक्ति, यानी श्री दीवान इंद्रनील सिन्हा द्वारा दायर की गई थी, लेकिन यह इस जनहित याचिका में याचिकाकर्ता की जानकारी में था, क्योंकि पिछली याचिका में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के रूप में, यानी डब्ल्यू. पी. में। (पी. आई. एल.) 2013 की सं. 4218 और वर्तमान याचिका में अधिवक्ता एक ही हैं।इसलिए, यह उचित रूप से माना जा सकता है कि डब्ल्यू. पी. की बर्खास्तगी। (पी. आई. एल.) 2013 की सं. 4218 याचिकाकर्ता की जानकारी में होगी।फिर भी डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता (पी. आई. एल.) 2021 की संख्या 4290 में पहले की रिट याचिका या इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं किया गया था कि इसे उच्च न्यायालय द्वारा 22.11.2013 पर लागत के साथ खारिज कर दिया गया था।यह तथ्य कि यह याचिकाकर्ता की जानकारी में था, याचिका (डब्ल्यू. पी. (पी. आई. एल.) 2021 का सं. 4290), 20.04.2022 पर एक पूरक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता (श्री शिव शंकर शर्मा) ने उल्लेख किया है कि एक दीवान इंद्रनील सिन्हा (यानी, डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता। (पी. आई. एल.) 2013 का सं. 4218) ने झारखंड के मुख्यमंत्री के कथित कुकर्मों के बारे में संवैधानिक अधिकारियों से संपर्क किया था। पैरास 3 और 4 में निम्नलिखित कहा गया हैः

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

“3. याचिकाकर्ता का कहना है कि उनसे पहले स्वर्गीय दीवान इंद्रनील सिन्हा ने अवैध कमाई के समर्थन में कंपनियों के सभी विवरणों और दस्तावेजों के साथ अभ्यावेदन भेजे हैं।

जी.

भारत के माननीय राष्ट्रपति,

माननीय गृह मंत्री

झारखंड के माननीय राज्यपाल ए.

एच.

1165

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

निदेशक सी. बी. आई.

निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त

महानिदेशक, (जांच, आयकर)

बी.

स्वर्गीय दीवान इंद्रनील सिन्हा द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष भेजे गए विस्तृत अभ्यावेदन को दर्शाने वाली प्राप्तियों की फोटोकॉपी।16.11.14 & 21.01.14 इस अनुप्रयोग में अनुलग्नक-4 श्रृंखला के रूप में संलग्न और चिह्नित हैं।

4. याचिकाकर्ता का कहना है कि स्वर्गीय दीवान इंद्रनील सिन्हा द्वारा पहले किए गए प्रयास, जिसमें उनके द्वारा भेजा गया अभ्यावेदन केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो को प्राप्त हुआ है, और उन्होंने अपने स्तर पर पूछताछ की है और उन्हें 05.11.14 दिनांकित पत्र संख्या 376 के माध्यम से सूचित किया है, जिसमें कहा गया है कि

सी.

“3. यदि आप चाहें तो सक्षम अदालत या मामले में उपयुक्त निर्देश से संपर्क कर सकते हैं।”

डी.

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मामले में आगे बढ़ने के लिए उनके सामने प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध थी।

पत्र की फोटोकॉपी No.376 dt।5.11.14 सी. बी. आई. को संलग्न किया गया है और इस आवेदन के अनुलग्नक-5 के रूप में चिह्नित किया गया है।”

ई.

झारखंड राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू. पी. सं. में दायर उत्तर में। (पी. आई. एल.) 2021 का 4290, डब्ल्यू. पी. के रूप में पहले की रिट याचिका के दमन के संबंध में एक आपत्ति ली गई थी। (पी. आई. एल.) 2013 की सं. 4218 भी।इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का रुख साफ हाथों से नहीं किया क्योंकि उसने डब्ल्यू. पी. की बर्खास्तगी का खुलासा नहीं किया था। (पी. आई. एल.) 2013 का झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा व्यय (आदेश दिनांक 22.11.2013) के साथ सं. 4218, एक आदेश जिसे इस न्यायालय द्वारा 2014 के एस. एल. पी. सं. 4886 में दिनांक 28.02.2014 के आदेश द्वारा बरकरार रखा गया था।यह नियम, 2010 के नियम, 4 बी का भी स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें याचिकाकर्ता को अतीत में किए गए सभी समान प्रयासों का खुलासा करने की आवश्यकता थी।

एफ.

जी.

14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम 4,4 ए, 4 बी और 5 में दी गई उपरोक्त प्रक्रिया को नियम 6 के तहत अदालत द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए शिथिल किया जा सकता है, जहां मामला अदालत द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है और मामले में किसी भी देरी की अनुमति देना व्यावहारिक नहीं है।वर्तमान में, झारखंड उच्च न्यायालय का कोई निष्कर्ष या आदेश नहीं है कि इस मामले में और देरी से याचिका निष्फल या निरर्थक हो जाती।

एच.

जिसने नियमों में ढील को उचित ठहराया होगा।इसके विपरीत, झारखंड उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि नियम 4,4 ए, 4 बी और 5 अनिवार्य नहीं हैं, बल्कि नियम 6-ए को देखते हुए प्रकृति में निर्देशिका हैं और इसलिए भले ही नियमों का पालन नहीं किया गया है, लेकिन वास्तव में जनहित याचिका पर विचार करने के लिए न्यायालय के रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि जनहित याचिका में आरोपों की प्रकृति गंभीर प्रकृति की थी।यह तर्क, हमारे विचार में, बलवंत सिंह चौफाल (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों में इस न्यायालय के निर्णय के साथ-साथ झारखंड उच्च न्यायालय के नियमों, मुख्य रूप से नियम 4-बी का स्पष्ट उल्लंघन है।

बी.

15. इस स्तर पर, आइए अब देखें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में डब्ल्यू. पी. को खारिज करते हुए क्या कहा था। (पी. आई. एल.) 2013 की सं. 4218।उस जनहित याचिका को खारिज करते हुए, रुपये की लागत के साथ। 50, 000/- यह निम्नानुसार कहा गया थाः-

सी.

“17. बार-बार यह माना गया है कि जनहित याचिका एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और न्यायपालिका को यह देखने के लिए बेहद सावधान रहना होगा कि 'जनहित' के सुंदर पर्दे के पीछे एक बदसूरत निजी द्वेष, निहित स्वार्थ और/या प्रचार की मांग छिपी नहीं है।यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय

द्वारा बड़ी संख्या में मामलों में 'जनहित याचिका' के मानदंडों का संकेत दिया गया है, फिर भी वास्तविक इरादे और आपत्तियों की परवाह किए बिना, कई जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं।

डी.

ई.

18. याचिकाकर्ता ने संबंधित से संपर्क नहीं किया है।संबंधित समय पर अधिकारी। याचिकाकर्ता ने यह जनहित याचिका प्रत्यर्थी संख्या 0 द्वारा झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद ही दायर करने का विकल्प चुना है।हम रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर इस जनहित याचिका में कोई प्रामाणिकता नहीं पाते हैं और रिट याचिका को लागत के साथ खारिज किया जा सकता है।19. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका में कोई प्रामाणिकता नहीं है।रिट याचिका को रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। 50, 000/- (पचास हजार)।यह राशि, निश्चित रूप से, याचिकाकर्ता द्वारा आज से 6 (छह) सप्ताह की अवधि के भीतर झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, "न्याय सदन", डोरंडा, रांची के समक्ष जमा की जाएगी। रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति सदस्य सचिव, झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को भेजने का निर्देश दिया जाता है।"

एफ.

जी.

एच.

1167

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

ए.

इसी तरह की जनहित याचिका को खारिज करना एक तथ्य था जिसका याचिकाकर्ता द्वारा भी खुलासा नहीं किया गया था, जिसे वह नियम, 2010 के नियम 4-बी को देखते हुए ऐसा करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा।अशोक के मामले में यह न्यायालय

कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। **9** यह कहना था

पी. आई. एल. दाखिल करने वाले व्यक्ति की साख निम्नानुसार हैः- "4. जब यह दिखाने के लिए सामग्री है कि एक जनहित याचिका के रूप में शैलीबद्ध एक याचिका व्यक्तिगत विवादों को बढ़ावा देने के लिए एक छलावरण के अलावा और कुछ नहीं है, तो कहा गया है कि याचिका को बाहर फेंक दिया जाना चाहिए।इससे पहले कि हम वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे से निपटें, हम जनहित के पहलू से संबंधित मुद्दे पर विचार करना आवश्यक समझते हैं।जनहित

याचिका जो अब कानून के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आ गई है, वह "प्रचार हित याचिका" या "निजी हित याचिका" या "राजनीतिक हित याचिका" या नवीनतम प्रवृत्ति "पैसे आय याचिका" नहीं होनी चाहिए।यदि ठीक से विनियमित नहीं किया जाता है और दुरुपयोग को टाला नहीं जाता है तो यह अनैतिक हाथों में प्रतिशोध और विनाशकारी प्रतिशोध जारी करने का एक उपकरण भी बन जाता है।मुकदमेबाजी में वास्तविक और वास्तविक सार्वजनिक हित शामिल होना चाहिए, न कि केवल गलती करने वाले या जांच के लिए किसी की नाक फोड़ने का साहस।इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने व्यक्तिगत कारणों को आगे बढ़ाने या अपनी व्यक्तिगत दुर्भावना और शत्रुता को संतुष्ट करने के लिए भी लागू नहीं किया जा सकता है।न्याय के न्यायालयों को असाधारण अधिकार क्षेत्र का सहारा लेकर बेईमान वादियों द्वारा प्रदूषित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।ईमानदारी से कार्य करने वाले और जनहित याचिका की कार्यवाही में पर्याप्त रुचि रखने वाले व्यक्ति का ही अधिकार होगा और वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और वैधानिक प्रावधानों के वास्तविक उल्लंघन को मिटाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ या राजनीतिक उद्देश्य या किसी अप्रत्यक्ष विचार के लिए नहीं।इन पहलुओं को इस न्यायालय द्वारा जनता ओएफ मामले (ऊपर) और काजी लेंडुप दोरजी बनाम केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो, (1994 सप्लीमेंट (2) एससीसी 116) में उजागर किया गया था।जनहित में राहत के लिए अदालत में आने वाले एक रिट याचिकाकर्ता को न केवल किसी अन्य रिट याचिकाकर्ता की तरह साफ हाथों के साथ आना चाहिए, बल्कि एक साफ दिल, साफ दिमाग और साफ उद्देश्य के साथ भी आना चाहिए। रामजस फाउंडेशन बनाम भारत संघ (ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 852) और के. आर. श्रीनिवास बनाम आर. एम. प्रेमचंद (1994 (6) एस. सी. सी. 620) देखें।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

XXX

XXX

XXX

9 एयर 2004 एससी 280

एच.

12. जनहित याचिका एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और न्यायपालिका को यह देखने के लिए बेहद सावधान रहना होगा कि सार्वजनिक हित के सुंदर पर्दे के पीछे एक बदसूरत निजी द्वेष, निहित स्वार्थ और/या प्रचार की मांग न हो।इसका उपयोग नागरिकों को सामाजिक न्याय देने के लिए कानून के शस्त्रागार में एक प्रभावी हथियार के रूप में किया जाना है।जनहित याचिका के आकर्षक ब्रांड नाम का उपयोग शरारत के संदिग्ध उत्पादों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।इसका उद्देश्य वास्तविक सार्वजनिक गलत या सार्वजनिक क्षति का निवारण करना होना चाहिए न कि प्रचार उन्मुख या व्यक्तिगत प्रतिशोध पर आधारित।जैसा कि ऊपर बताया गया है, न्यायालय को यह देखने के लिए सावधान रहना चाहिए कि व्यक्तियों या जनता के सदस्यों का एक समूह, जो 'न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, वह व्यक्तिगत लाभ या निजी उद्देश्य' या राजनीतिक प्रेरणा या अन्य अप्रत्यक्ष विचार के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी से काम कर रहा है।न्यायालय को अपनी प्रक्रिया का अप्रत्यक्ष रूप से दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।निहित स्वार्थ वाले कुछ व्यक्ति या तो आदत के बल पर या अनुचित उद्देश्यों से न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने में लिप्त होते हैं।अक्सर वे कुख्याति या सस्ती लोकप्रियता जीतने की इच्छा से प्रेरित होते हैं।ऐसे व्यस्त निकायों की याचिकाओं को सीमा पर अस्वीकार करके और उचित मामलों में अनुकरणीय लागत के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए।

XXX

बी.

सी.

डी.

XXX

XXX

14. न्यायालय को (ए) आवेदक की साख; (बी) उसके द्वारा दी गई जानकारी की प्रथम दृष्टया शुद्धता या प्रकृति; (सी) जानकारी अस्पष्ट और अनिश्चित नहीं होने के बारे में संतुष्ट होना होगा।जानकारी में गंभीरता और गंभीरता होनी चाहिए।न्यायालय को दो परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाना होगा; (i) किसी को भी दूसरों के चरित्र को धूमिल करने वाले बेतुके और लापरवाह आरोपों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिएःऔर (ii) सार्वजनिक शरारत से बचना और अप्रत्यक्ष उद्देश्य, न्यायोचित कार्यकारी

कार्यों के लिए हमला करने की मांग करने वाली शरारती याचिकाओं से बचना।हालाँकि, ऐसे मामले में न्यायालय उदार होने का जोखिम नहीं उठा सकता है।यह देखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि सार्वजनिक शिकायत के निवारण की आड़ में, यह संविधान द्वारा कार्यपालिका और विधानमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण न करे।अदालत को धोखेबाजों और व्यस्त निकायों या सार्वजनिक-उत्साही पवित्र पुरुषों के रूप में प्रतिरूपण करने वाले हस्तक्षेप करने वाले मध्यस्थों के साथ व्यवहार करते समय बेरहमी से कार्य करना पड़ता है।वे न्याय के योद्धाओं के रूप में वेशभूषा करते हैं।वे प्रो बोनो पब्लिक के नाम पर काम करने का नाटक करते हैं, हालांकि उन्हें जनता या यहां तक कि अपनी रक्षा करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

1169

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

XXX

XXX

XXX

ए.

16. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाओं को समाप्त करने का समय आ गया है, जिन्हें हालांकि जनहित याचिकाओं के रूप में शीर्षक दिया गया है, सार में कुछ और है।यह चौंकाने वाली बात है कि अदालतें बड़ी संख्या में तथाकथित जनहित याचिकाओं से भरी हुई हैं, जहां एक छोटे से प्रतिशत को भी वैध रूप से जनहित याचिका कहा जा सकता है।यद्यपि इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में मामलों में जनहित याचिका के मापदंडों का संकेत दिया गया है, फिर भी वास्तविक इरादों और उद्देश्यों की परवाह किए बिना, न्यायालय ऐसी याचिकाओं पर विचार कर रहे हैं और मूल्यवान न्यायिक समय बर्बाद कर रहे हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अन्यथा वास्तविक मामलों के निपटारे के लिए उपयोग किया जा सकता है।हालांकि डॉ. दुर्योधन साहू बनाम जितेंद्र कुमार मिश्रा और अन्य में। (ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 114), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सेवा मामलों में पी. आई. एल. पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, सेवा मामलों से जुड़ी तथाकथित पी. आई. एल. का प्रवाह अदालतों में बेरोकटोक जारी रहता है और अजीब तरह से विचार किया जाता

है।कम से कम उच्च न्यायालय उक्त निर्णय के आधार पर उन्हें बाहर निकाल सकते हैं।दूसरा दिलचस्प पहलू यह है कि जनहित याचिकाओं में आधिकारिक दस्तावेजों को बिना यह बताए संलग्न किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता ने उन्हें कैसे हासिल किया।एक मामले में, यह देखा गया कि इसके कब्जे के बारे में एक दिलचस्प जवाब दिया गया था।यह कहा गया था कि सड़क पर एक पैकेट पड़ा था और जब याचिकाकर्ता ने उत्सुकता से इसे खोला, तो उसे आधिकारिक दस्तावेजों की प्रतियां मिलीं।जब भी इस तरह की तुच्छ दलीलों को कब्जे में लेने के लिए लिया जाता है, तो न्यायालय को न केवल याचिकाकर्ताओं को खारिज करना चाहिए, बल्कि अनुकरणीय लागत भी लगानी चाहिए।यदि न्यायालयों के लिए वांछनीय होगा कि वे तुच्छ याचिकाओं को छान लें और उन्हें पूर्व में बताए गए खर्चों के साथ खारिज कर दें ताकि संदेश सही दिशा में जाए कि अप्रत्यक्ष उद्देश्य से दायर याचिकाओं को न्यायालयों की मंजूरी न हो।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

16. इसलिए जनहित याचिका शुरू करने वाले याचिकाकर्ता का अधिकार क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मुकदमे के इस महत्वपूर्ण रूप का दुरुपयोग प्रेरित व्यक्तियों द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों या किसी अन्य कारण से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक सार्वजनिक कारण के लिए किया जाना चाहिए।17. इस मामले में याचिकाकर्ता डॉ. गौतम शर्मा का बेटा है जो वर्तमान मुख्यमंत्री के पिता के खिलाफ आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक था और इसलिए

जी.

10 भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302,201 के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी अदालत, नई दिल्ली के समक्ष 2006 का सत्र मामला संख्या 3।

एच.

मुख्यमंत्री ने याचिकाकर्ता के हाथों पुरानी दुश्मनी और व्यक्तिगत प्रतिशोध का आरोप लगाया है।हमारे विचार से, इस तरह की आपत्ति के बावजूद जनहित याचिका पर सुनवाई की जा सकती थी, अगर याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष साफ हाथों से आता।उन्होंने जानबूझकर और जानबूझकर अदालत से पहले की एक रिट याचिका (रिट याचिका सं। (पी. आई. एल.) 2013 का 4218) इसी तरह के आधारों पर दायर किया गया था, जिसमें इसी तरह की राहत की मांग की गई थी, जिसे झारखंड उच्च न्यायालय ने लागत के साथ खारिज कर दिया था, एक आदेश जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 के एस. एल. पी. संख्या 4886 में दिनांकित आदेश द्वारा बरकरार रखा था।

बी.

18. इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं, बहुत अधिक सामान्यीकृत हैं और सबूत कहे जाने योग्य किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं हैं। मुखौटा कंपनियों से भ्रष्टाचार और धन की हेराफेरी के आरोप और कुछ नहीं बल्कि एक गंजे आरोप हैं, बिना किसी भी तरह से आरोपों की पुष्टि किए और इसलिए केवल अदालत से केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो या प्रवर्तन निदेशालय को मामले की अनुसंधान करने का निर्देश देने के लिए कह रहा है।यह और कुछ नहीं बल्कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

सी.

डी.

19. अदालतें अपनी प्रक्रिया का अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकती हैं, जैसा कि इस अदालत ने अशोक कुमार पांडे बनाम अशोक कुमार पांडे मामले में कहा था।

पश्चिम बंगाल राज्य **11.**बलवंत सिंह चौफाल **(**ऊपर**)** मामले में यह न्यायालय

पी. आई. एल. के तीन चरणों पर चर्चा की थी, जिन पर ऊपर चर्चा की गई है।फिर बलवंत सिंह चौफाल (उपरोक्त) मामले में यह न्यायालय बताता है कि कैसे इस महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र, यानी जनहित याचिका का पैरा 143 में निम्नानुसार अवलोकन करके दुरुपयोग किया गया हैः

ई.

“143. दुर्भाग्य से, हाल ही में, यह देखा गया है कि अदालतों द्वारा बहुत सावधानी और सावधानी के साथ सावधानीपूर्वक बनाए गए, बनाए गए और पोषित किए गए ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र का अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ कुछ याचिकाएं दायर करके घोर दुरुपयोग किया जा रहा है।हम समझते हैं कि समय आ गया है जब वास्तविक और प्रामाणिक जनहित याचिकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जबकि तुच्छ जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।हमारी सुविचारित राय में, हमें इस देश के लोगों के व्यापक

हित में इस महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र की रक्षा और संरक्षण करना होगा, लेकिन हमें अदालतों द्वारा मौद्रिक और गैर-मौद्रिक निर्देशों के आधार पर इसके दुरुपयोग को रोकने और ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।"

एफ.

जी.

11 (2004) 3 एससीसी 349 ए

एच.

1171

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

यह न्यायालय तब होलिको पिक्चर्स (पी) लिमिटेड बनाम के मामले को संदर्भित करता है।प्रेम चंद मिश्रा 12, जिसने पैरा 10 में जनता दल बनाम एच. एस. चौधरी 13 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, ने कहाः"12. यह निराशाजनक है कि अदालतों के समक्ष शुरू की गई इस तरह की भारी कार्यवाही के कारण, असंख्य दिन बर्बाद हो जाते हैं, जो समय अन्यथा वास्तविक वादियों के मामलों के निपटारे के लिए खर्च किया जा सकता था।हालाँकि हम जनहित याचिका की प्रशंसनीय अवधारणा को बढ़ावा देने और विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और गरीबों, अज्ञानी, उत्पीड़ित और जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और उल्लंघन किया जाता है और जिनकी शिकायतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है और जिन्हें सुना नहीं जाता है। फिर भी हम अपनी राय व्यक्त करने से बच नहीं सकते हैं कि जबकि सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्तियों और आपराधिक मामलों से संबंधित वैध शिकायतों वाले वास्तविक वादी जिनमें अनकही पीड़ा के तहत फांसी की सजा पाए व्यक्ति और आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति और लंबे समय तक कारावास में रखे गए व्यक्ति शामिल हैं, ऐसे व्यक्ति जो सेवा मामलों में अनुचित देरी से पीड़ित हैं-सरकारी या निजी, ऐसे व्यक्ति जो उन मामलों के निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनमें भारी मात्रा में सार्वजनिक राजस्व या कर राशि का अनधिकृत संग्रह बंद है, हिरासत में लिए गए लोग निरोध आदेशों आदि से अपनी रिहाई की उम्मीद कर रहे हैं।वे सभी अदालतों में जाने और अपनी शिकायतों का निवारण करने की शौकीन उम्मीद के साथ वर्षों से लंबी कतार में खड़े हैं, व्यस्त निकाय, हस्तक्षेप करने वाले बिचौलिये, राहगीर या आधिकारिक हस्तक्षेप करने वाले जो व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ के लिए या दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में या किसी अन्य बाहरी प्रेरणा या प्रचार के लिए बिल्कुल कोई सार्वजनिक हित नहीं रखते हैं, जनहित याचिका का मुखौटा पहनकर अपने चेहरे पर कतार तोड़ते हैं और परेशान करने वाली और तुच्छ याचिकाएं दायर करके अदालतों में प्रवेश करते हैं और इस तरह अदालतों का मूल्यवान समय बर्बाद होता है

और जिसके परिणामस्वरूप अदालतों के दरवाजों के बाहर खड़ी कतार कभी नहीं चलती है, जो तीखी स्थिति पैदा करती है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

12 (2007) 14 एससीसी 281 13 (1992) 4 एससीसी 305

एच.

20. अब देखते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति क्या है।याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रत्यर्थीगणओं में से एक, जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्ट तरीकों से भारी संपत्ति अर्जित की है और इस पैसे को लगभग 32 कंपनियों में निवेश किया है, जिनमें से विवरण दिया गया है।याचिकाकर्ता तब इन कंपनियों का विवरण देता है कि निदेशक कौन हैं, आदि। प्रत्यर्थी या उसके रिश्तेदार कंपनियों के निदेशक नहीं हैं।लेकिन फिर याचिकाकर्ता कहता है कि उसके पास जानकारी है कि वह इस पैसे की हेराफेरी कर रहा है और इसे एक रवि केजरीवाल के माध्यम से इन मुखौटा कंपनियों में निवेश कर रहा है जो कथित रूप से मुख्यमंत्री का करीबी सहयोगी है।मुखौटा कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के प्रत्यर्थी के आरोपों को किसी भी प्रकार के साक्ष्य द्वारा पूरक नहीं किया गया है।इन कंपनियों के संचालन के लिए कथित रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया है, लेकिन कोई ठोस सबूत पेश किए बिना, यह कहा गया है कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री से जुड़े/करीबी सहयोगी या संबंधित हैं।इसके अलावा, किसी भी कंपनी को झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान जनहित याचिकाओं में पक्षकार नहीं बनाया गया है।इस प्रकार, उच्च न्यायालय से एक आदेश की मांग की जाती है कि वह प्रवर्तन निदेशालय को कंपनियों को रिट कार्यवाही में एक पक्ष बनाए बिना इन तथाकथित "मुखौटा कंपनियों" की जांच करने का निर्देश दे।यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि वर्तमान दो जनहित याचिकाओं के

संबंध में, पुलिस या शिकायतों को आंदोलन करने वाले किसी भी प्राधिकरण के साथ कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है और ये याचिकाएं वैधानिक उपायों का लाभ उठाए बिना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

21. हम एक पल के लिए भी यह नहीं कह रहे हैं कि उच्च पदों पर आसीन लोगों की जांच नहीं की जानी चाहिए, लेकिन एक उच्च न्यायालय के लिए इन सामान्यीकृत प्रस्तुतियों पर मामले का संज्ञान लेना, जो न्यायालय को प्रथम दृष्टया संतुष्ट भी नहीं करते हैं, और कुछ नहीं बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।याचिकाकर्ता की साख का खुलासा न करना और इसी तरह की राहत के लिए किए गए पिछले प्रयास, जैसा कि नियम, 2010 के तहत अनिवार्य किया गया है, इन याचिकाओं को और बदनाम करता है।जनहित याचिकाओं में याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष साफ-सुथरे हाथों से नहीं गए।हमारे विचार में, ऐसी याचिका को बहुत हद तक ही खारिज किया जा सकता था।यदि याचिकाकर्ता के पास मामले को आगे बढ़ाने का वास्तविक कारण है, तो उसके पास कंपनी अधिनियम या कानून के अन्य प्रावधानों के तहत अपने उपाय उपलब्ध हैं, जहां वह संबंधित अधिकारियों को कंपनियों के निदेशकों या प्रवर्तकों के कुकर्मों से अवगत करा सकता है।लेकिन सामान्यीकृत कथनों पर जो इस स्तर पर केवल आरोप हैं, अदालत ए

एफ.

जी.

एच.

1173

झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।]

उच्च संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ कुकर्मों के कथित कृत्यों की जांच के लिए एक मंच नहीं बन सकता है।उच्च न्यायालय के लिए एक जनहित याचिका पर विचार करना उचित नहीं था जो केवल आरोपों और आधे-अधूरे सच पर आधारित है, वह भी एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में जो अपनी साख को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया है और अदालत में अशुद्ध हाथों से आया है।

22. नतीजतन, हम वर्तमान अपीलों को स्वीकार करते हैं और झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. नं. 1 में पारित 03.06.2022 के आदेश को रद्द कर देते हैं। (पी. आई. एल.) 2021 का 4290 और डब्ल्यू. पी. नं. (पी. आई. एल.) 2022 का 727।

बी.

निधि जैन और अनुराग भास्कर

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः बोधि रामटेके, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.